


उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर  
//आदेश //

क्रमांक C/340 /  
दो-13-09/17

जबलपुर, दिनांक 08/फरवरी/2022.

श्री दीपक कुमार चतुर्वेदी, नवगठित सेवा के सदस्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर का दिनांक 08.11.2021 से 08.12.2021 तक (कुल 31 दिवस का) असाधारण अवकाश (E.O.L.) स्वीकृत किया जाता है ।


  
(प्रियदर्शन शर्मा)  
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

पृष्ठांकन क्रमांक C/341 /  
दो-13-09/17

जबलपुर, दिनांक 08/फरवरी, 2022.

प्रतिलिपि :-

- 1- प्रिंसीपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म.प्र.) की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 234/स्था., दिनांक 14.01.2022 के संदर्भ में श्री दीपक कुमार चतुर्वेदी, नवगठित सेवा के सदस्य उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ-ग्वालियर का आवेदन पत्र, अवकाश लेखा वापिस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।  
संलग्न : उपरोक्तानुसार।
2. सीनियर प्रिंसीपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार(एम) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
4. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय म.प्र, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

  
(प्रियदर्शन शर्मा)  
रजिस्ट्रार (प्रशासन)